न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दूदू जिला जयपुर, राज0

श्री बीरबल सिंह शेखावत (आर0ए0एस0)
(पीठासीन अधिकारी)

अपील संख्या 3/2021
निर्णय दिनांक 24/3/2021

1 रामरतन
2 प्रधानमल
3 मनभर
4 शान्ति
5 रामप्यारी
6 हंसा

समस्त संन्तान मंगला आयु व्यस्क जातियान जाट निवासीयान ग्राम छापरी तहसील फागी निवासी जयपुर राज0

– अपीलान्ट

बनाम

1 रामकन्या तथाकथित पुत्री रामदेव जाति जाट पत्नि छीतर जाति जाट निवासी नारेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज0
2 तहसीलदार तहसील फागी मु0 फागी जिला जयपुर
3 नायब तहसीलदार तहसील फागी मु0 फागी जिला जयपुर राज0

– रेस्पोडेन्ट

निर्णय

अपीलान्ट की और से अपील पेश की गई। उसका संक्षेपसार इस प्रकार है।

1 यह है कि निर्णय सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय बाबत नामान्तकरण संख्या 412 दिनांक 06.07.2002 विधि विधान एवं पत्रावली पर मौजूद तथ्यों कें विपरित होने से काबिले निस्रतनीय है।

2 यह कि अपीलान्ट की वंशावली निम्न प्रकार से है–

लाला

1 रामदेव — 2 मंगला

1 लाडा (पत्नि) — 1रामरतन 2 प्रधान 3 शान्ति 4 रामप्यारी 5 हंसा
न औलाद फोत

3 यह कि उपरोक्त वंशावली अनुसार विवादित नामान्तकरण मृतक रामदेव पुत्र लाला निवासी ग्राप छापरी तहसील छापरी तहसील फागी जिला जयपुर के नाम से था। स्व0 रामदेव से उसके जीवन काल में धन्नालाल जाट निवासी आवडा की पुत्री लाडा देवी ने पुर्नविवाह किया। स्व0 रामदेव की मृत्यु पश्चात उसका फौती नामान्तकरण लाडादेवी के नाम से स्वीकृत हो गया। तत्पश्चात लाडादेवी की मृत्यु उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 राजस्व कर्मियो से कारगुजारी कर स्वयं को स्वं रामदेव का वारिश व जायन्दा संतान बताकर अधिनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुये विवादित नामान्तकरण स्वीकृत करवा लिया जबकि वास्तविकता यह है कि रेस्पोडेन्ट

संख्या 1 स्वं लाडादेवी व धन्नालाल जाट निवासी आवडा की पुत्री है। इस प्रकार विवादित नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम स्वीकार होना ही हास्यास्पद व विधि सिद्वान्तों के विपरित हाने से काबिले निरस्तनीय है।

4यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामकन्या स्वं रामदेव पुत्र लाला की जायन्ता संन्तान नही है और न ही स्वं रामदेव से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई रक्त संम्बध है। इसके विपरित अधिनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने विवादित नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को न तो कोई नोटिस दिया और न ही किसी प्रकार की सूचना खास व आम प्रकाशित की और न ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानो का अवलोकन अथवा पालना की और विधि विधान से परे जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में तस्दीक किया जो व मुकाबले अपीलानट के अधिकारो के बातिल व शुन्य होने से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 6.7.2002 कानूनन निरस्तनीय है।

5 यह है कि स्व0 रामदेव ना ओलाद फौत हुआ था अर्थात हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 प्रभाव मे आने के बाद स्वं रामदेव की मृत्यु हुई और इस दौरान ता मृत्यू तक ना औलाद रहा और उसके प्रथम श्रेणी का कोई वारिश नही रहा जिस कारण विवादित नामान्तकरण हिन्दू विधि व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के नियमों की पालना करते हुये अपीलान्ट जो स्व रामदेव के द्वितिय श्रेणी के वारिश है के नाम स्वीकार किया जाना चाहिऐ था। परन्तु इन तमाम तथ्यों को अनदेखा व विधि के नियमों को नजर अन्दाज करते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने फर्जी व गैर कानूनी तरीके से स्व0 रामदेव से अपना झूठा रक्त सम्बध जोडते हये अपने नाम स्वीकार करवा लिया जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई विधिक अधिकार हासिल नही है। जो कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलान्ट के अधिकारो के मुकाबले शुन्य होने से वातिल व बेअसर है। और काबिले निरस्तनीय हैं।

6 यह कि यहां यह भी उल्लेखित कर देना कानूनन आवश्यक है कि मृतक लाडादेवी ने उसके क्षरा अपीलान्ट संख्या 1व 2 के हक मे निष्पादित रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांकित 05.08.1995 में भी लिखा है कि मेरे पति रामदेव के फौत होने पर उसके कोई जायन्दा पुत्र पुत्री नही होने से मृतक की पगडी मेरे देवर मंगला के ज्येष्ठ पुत्र के बंधी है एवं उक्त (मृतक रामदेव) की आराजी की विरासत का नामान्तकरण मेरे स्वयं के नाम दर्ज हो गया है। इससे भी सुस्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तकरण अपीलान्ट के नाम स्वीकृत कर भारी कानूनन भारी भूल की है। जो विधि अनुसार काबिले निरस्तनीय है।

7 यह कि सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय लैण्ड रेवन्यु एक्ट एंव हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के विपरित होने से निरस्तनीय है।

8 यह कि सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की वंशावली व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का स्व0 रामदेव से रक्त संम्बधों की बिना जॉच किये व अपीलान्ट को बिना सूचित किये व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की बिना पालना किये निर्णय पारित कर अहम कानूनी भूल की है। जो विधि अनुसार निरस्तनीय है।

9 यह कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय आर्बीट्रेटी काउन्टरी टू लॉ एवं प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है।

10 यह कि उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.07.2002 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.7.2014 को अपीलान्ट विवादित नामान्तकरण की आराजीयात पर बुआई करने से रोकने और ऐलानिया धमकी देने व तत्पश्चात अपीलान्ट द्वारा पटवार हल्का मण्डावरा ने नकल दिनांक 11.7.2014 प्राप्त करने व कानूनी सलाह करने पर हुई जो कि अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.07.2002 निरस्त किया जाकर मृतक लाडादेवी की विरासतन का नामान्तकरण अपीलार्थी के नाम स्वीकार करने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु नोटिस भेज गयें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट
दूदू, जयपुर)

रेस्पोन्डेट संख्या 1 रामकन्या पुत्री रामदेव जाति जाट पत्नि छीतर जाति जाट निवासी नारेडा तहसील फागी की और से राजेन्द सैनी एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। परन्तु बहुत मौके दिये जाने के वाबजूद जवाब पेश नही किया।

अपीलार्थी के वकील ने निवेदन किया कि पत्रावली में मूल रिकार्ड भी प्राप्त हो चुका है । अतः बहस को सुना जावे। अतः अपीलार्थी के वकील द्वारा की गई बहस को सुना गया। बहस में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में पेश किये गये कथनो को दोहराया। हमने विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई को सुनने के बाद पत्रावली व कार्यालय तहसीलदार फागी के पत्रांक भू0अ0/17/3787 दिनांक 10.8.2017 के द्वारा प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया तो पाया की मूल नामान्तकरण संख्या 412 ग्राम छापरी में दिनांक 0.6.07.2002 में लाडादेवी बेवा रामदेव के स्थान पर रामकन्या पुत्री रामदेव के के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। परन्तु पत्रावली में प्रस्तुत वक्शीशनामा में भी जिक्र किया गया है कि मेरे पति रामदेव की फौत होने पर उसके कोई जायन्दा पुत्र पुत्री नही होने से मृतक रामदेव की पगडी मेरे देवर मंगला के जेष्ठ पुत्र को पहनाई गई है। अतः प्रकरण में नामान्तकरण विवादास्पद स्थिति पैदा करता है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि नामान्तकरण दिनांक 06.07.2002की पुनः जॉच करे। की तथा लाडादेवी की विरासतन वारिसान की जॉच करें। जॉच में यदि यह पाया जावें की विरासतन नामान्तकरण गलत खोला है तो नवीन नामान्तकरण दर्ज करें तथा यह नामांन्तकरण संख्या 412 ग्राम छापरी को निरस्त करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो

बीरबलसिंह शेखावत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट
दूदू जिला जयपुर, राज0